संख्या- 7-2025-डीएफए-1081783-38-7099-99-49-2022

प्रेषक,

अमनदीप डुली,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6   लखनऊः दिनांकः 25-04-2025

विषयः महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों तथा ग्राम प्रधान के पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों द्वारा मनरेगा योजना में कार्य किये जाने पर भुगतान से पूर्व सत्यापन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-डीएफए/ 668394/38-7099 (99)/49/2022, दिनांक 06-02-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों तथा ग्राम प्रधान के पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों द्वारा मनरेगा योजना में कार्य किये जाने पर भुगतान से पूर्व सत्यापन किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में प्राविधानित व्यवस्था के अतिरिक्त निम्नवत व्यवस्था सम्मिलित की जाती है-

''श्रमिक के उस कार्यदिवस की फोटो एनएमएसएस पोर्टल पर संबंधित द्वारा अपलोड कराते हुए वह फोटोग्राफ पत्रावली पर भी रक्षित किया जाय।''

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया **उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।** अतः शासनादेश दिनांक 06-02-2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

Signed by Duli Amandeep
Date: 25-04-2025 15:33:49

(अमनदीप डुली)
विशेष सचिव।

संख्या-7-2025-डीएफए-1081783-38-7099-99-49-2022तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उपायुक्त(श्रम रोजगार), उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अमनदीप डुली)
विशेष सचिव।